आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.02.2020	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेटर केस नं0–68/2019** नैमिया देवी —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अंतर्गत मौजा–भवंरदाहा, मौजा सं0–30, खाता नं0–35, प्लॉट सं0–141 रकवा–0.0649 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत् उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अधिग्रहित भूमि का पंचाट 92,382.00 रू0 बना है, जबकि 61,493.00 रू0 ही भुगतान किया गया है। अन्तर राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि का मार्केट रेट से भुगतान होना चाहिए। आवेदक द्वारा भूमि का मार्केट दर से मुआवजा राशि का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तथा पंचाट के अनुसार अन्तर राशि नियमानुसार यदि देय हो तो आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 11/2/20 अपर समाहर्त्ता —सह— आर्बिट्रेटर धनबाद। 11/2/20 अपर समाहर्त्ता —सह— आर्बिट्रेटर धनबाद।	

Scanned with CamScanner